

**राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर**

क्रमांक:-मुसप्र/2016/ 363

दिनांक:- 17/6/16

**आदेश**

मण्डल की 230वीं बैठक दिनांक 27.01.2016 के बिन्दु संख्या 230.21 में लिये गये निर्णयानुसार आवासीय अभियन्ता, खण्ड-प्रथम/द्वितीय/ग्यारह/तेरह, जयपुर के अधीन अवशिष्ट निम्न फ्लेटों को खुली बिक्री के अन्तर्गत नगद भुगतान पद्धति के माध्यम से निस्तारित किया जाना है -

क. सं.	योजना का नाम	वर्ग	संबंधित खण्ड	फ्लेट संख्या	कुल फ्लेट्स
1	उदयगिरी अपार्टमेन्ट, सैक्टर-9 इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा, जयपुर	LIG (G+3) फ्लेट्स	प्रथम	12/L/T.F./31, 12/L/T.F./176, 12/L/F.F./295, 12/L/S.F./298, 12/L/S.F./299, 12/L/T.F./301, 12/L/T.F./79, 12/L/T.F./112, 12/L/S.F./155, 12/L/S.F./249, 12/L/S.F./89	11
		MIG-A	द्वितीय	7A/M1/TF/14, 7D/M1/TF/15, 7F/M1/FF/7, 6A/M1/GF/2, 6A/M1/TF/13, 6B/M1/SF/12, 6B/M1/TF/15	07
	नीलकण्ठ अपार्टमेन्ट, सैक्टर-5	LIG (G+3)	खण्ड ग्यारह	5/B/28, 5/B/40, 5/C/28, 5/C/35, 5/B/7	05
	इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा, जयपुर	LIG MIG-A	तेरह	10/L/26, 10/L/48/TF, 4/C/96/TF, 9/C/M1/14/TF, 9/C/M1/16/TF, 9/D/M1/3/GF, 9/D/M1/11/SF, 9/E/M1/11/SF, 9/F/M1/7/FF, 9/G/M1/3/GF, 9/G/M1/10/SF, 9/H/M1/2/GF, 9/H/M1/13/TF, 9/J/M1/6/FF, 9/J/M1/7/FF, 9/J/M1/9/SF, 9/J/M1/10/SF, 9/J/M1/13/TF, 9/K/M1/2/GF, 9/K/M1/4/GF, 9/K/M1/5/FF, 9/K/M1/6/FF, 9/K/M1/7/FF, 9/K/M1/13/TF, 9/L/M1/3/GF, 9/L/M1/4/GF, 9/L/M1/7/FF, 9/L/M1/11/SF, 9/L/M1/12/SF, 9/L/M1/15/TF, 9/L/M1/3/GF, 9/M/M1/2/GF, 9/M/M1/4/GF, 9/M/M1/5/FF, 9/M/M1/8/FF, 9/M/M1/9/SF, 9/M/M1/12/SF, 9/M/M1/13/TF, 9/M/M1/14/TF, 9/M/M1/15/TF, 4/C/32TF, 4/C/68 GF, 4/C/71 FF, 4/D/1 GF, 4/D/14 TF, 4/D/18 GF, 4/D/26 SF, 4/D/43 SF, 4/D/47 TF, 4/D/90 SF, 4/D/91 SF, 9D/M1/14 TF, 9H/M1/6 FF, 10/MA/192,	54
				<b>कुल योग</b>	<b>77</b>

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/उप आवासन आयुक्त, वृत्त तृतीय, जयपुर निम्न शर्तों के आधार पर खुली बिक्री योजना में आवासों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

- आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
- उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट्स खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है।
- उक्त फ्लेटों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
- उक्त फ्लेटों का पूर्व में यदि नीलामी के निस्तारण के प्रसास विफल रहे तो एवं फ्लेटों का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
- प्रस्तावित फ्लेटों में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं विधिवत निरस्त किये गये है।
- अलग-अलग प्रस्तावों पर उक्त फ्लेटों में से कोई भी फ्लेट की स्वीकृति पूर्व में जारी की जा चुकी है तो तत्काल अद्योहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में लाकर निरस्त करवाने के उपरान्त ही निस्तारण करें।
- खुली बिक्री योजना से संबंधित आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों को पत्रावली के पैरा 18/एन पर आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ –

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आगुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय रा0आ0म0, जयपुर
4. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, रा0आ0म0 जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-प्रथम/द्वितीय/ग्यारह/तेरह, रा0आ0म0 जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर
11. रक्षित पत्रावली।

  
सम्पदा प्रबन्धक (मु0)